# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

**पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS**

---

प्रकरण सं. 03/2017 अपील

1. लीला बाई पुत्री प्रेमचंद जाट, आयु वयस्क, निवासी सांखलों का खेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. सम्पत बाई पुत्री प्रेमचंद जाट, आयु वयस्क, निवासी सांखलों का खेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– अपीलाण्ट

//बनाम//

1. शिवलाल पिता गोपाल जाट, आयु वयस्क, निवासी सांखलों का खेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक, निम्बाहेड़ा।

– रेस्पोण्डेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. रा.अधि.**
**नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 30.01.1993**
**न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेड़ा**
**श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता अपीलाण्ट, उपस्थित**
**श्री अनुराग ओझा, अधिवक्ता रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1, उपस्थित**

निर्णय दिनांक 18.06.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया की अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण न्याय निर्णय के विरूद्ध जाकर तस्दीक किया गया है। वाकियाती तथ्यों से हटकर गलत खोला गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 की संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात वाके मौजा सांखलों का खेड़ा, पटवार हल्का बडोली घाटा की खाता संख्या 9 की आराजी नं. 64, 65, 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 131 कुल किता 10 कुल रकबा 3.3600 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके पुराने खाता संख्या 18 आराजी नं. 29, 51, 38/86, 68/90 कुल किता 4 कुल रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा तथा खाता संख्या 8 की आराजी नं. 29, 42, 95, 112, 113,

कुल किता 5 कुल रकबा 1.7400 हेक्टेयर भूमि स्थित है जिसके पुराने नम्बर खाता संख्या 17 की आराजी नं. 11, 14, 44, 48, 18/52 व 53/87 कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि अपीलाण्ट की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात है जो अपीलाण्ट के दादा रामलाल जी के जमाने से चली आ रही है। रामलाल जी के पुत्र अपीलाण्ट के पिता प्रेमचन्द जी हुए। प्रेमचन्द जी के दो पुत्रियां लीला बाई व सम्पत बाई एवं एक पुत्र गोपाल हुए। गोपाल जी का देहान्त हो गया है जिनका वारिस रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 शिवलाल है। उक्त आराजीयात अपीलाण्ट के पिता प्रेमचन्द पिता रामलाल जी के जमाने से चली आ रही है। प्रेमचन्द जी का देहान्त लगभग 25 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा प्रेमचन्द जी के देहान्त के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर वारिसान की समुचित जांच किये, नामान्तरकरण संख्या 388 प्रेमचन्द के पुत्र गोपाल के अकेले के नाम खोल दिया जबकि अपीलाण्ट भी पुत्रियां होकर प्रेमचन्द की वैध उत्तराधिकारीणी हैं तथा उनके नाम पर भी नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने गलत तरीके से प्रेमचन्द जी की विरासत अकेले गोपाल के नाम दर्ज कर ली जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है। गोपाल की मृत्यु के बाद अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 जो गोपाल का पुत्र है का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित हुआ व इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। गोपाल परिवार का कर्ता था जिसने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अकेले अपने आप को प्रेमचन्द का वारिस बताकर नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया तथा वादग्रस्त आराजी अकेले अपने नाम दर्ज करा ली। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर जांच किये जो नामान्तरकरण निर्णित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। पूर्व में अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट दुरस्त ग्रामीण अंचल की अनपढ़ महिलाऐं। उक्त निर्णय की पहली बार जानकारी गोपाल के देहान्त के समय लगभग 1 माह पूर्व जब सरकारी समिति से मुआवजा राशि निकलवाने हेतु खाता खुलवाने के लिए नकल प्राप्त करने पर हुई। जानकारी होते ही नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। जानकारी के अभाव में इस अपील को प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है वह क्षमा योग्य है। अन्दर मियाद हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अन्य आपत्तियां वक्त बहस न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधिनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 38, दिनांक 30.01.1993 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने जवाब नहीं प्रस्तुत करना जाहिर किया है। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।

पत्रावली सिगे से तलब की जाकर बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए अपील पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 30.01.1993 ग्राम सांखलों का खेड़ा की प्रमाणित प्रति, नामान्तरकरण संख्या 66 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 ग्राम सांखलों का खेड़ा की खाता संख्या 9, 10, 13, 16 की प्रमाणित प्रतियां, नकल जमाबन्दी संवत 2059–62 ग्राम सांखलों का खेड़ा की खाता संख्या 13 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल ग्राम सांखलों का खेड़ा की प्रतियां प्रस्तुत की है। प्रश्नगत नामान्तरकरण मृतक प्रेमचन्द का विरासत का नामान्तरकरण है जो गोपाल के नाम खोला गया है। इसी प्रकार इन्तकाल संख्या 66 भी मृतक प्रेमचन्द की विरासत का नामान्तरकरण है जिसमें गोपाल व अपीलाण्ट लीला व सम्पत के नाम नामान्तरकरण निर्णित किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि लीला व सम्पत भी मृतक प्रेमचन्द की पुत्रियां होकर वैध वारिस हैं। नकल जमाबन्दीयों में प्रश्नगत आराजीयात की खातेदारी का अंकन है जो पूर्व में प्रेमचन्द पिता रामलाल जाट के नाम दर्ज रेकार्ड थी और वर्तमान में उसका हिस्सा गोपाल पिता रामलाल जाट के नाम दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 गोपाल ने स्वयं अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है तथा प्रश्नगत नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण होना स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट को अपनी सगी बहनें व मृतक प्रेमचन्द पिता रामलाल जाट का विधिक उत्तराधिकारी बताया है। अपीलाण्ट्स दूरस्थ ग्रामीण अंचल की अनपढ़ महिलाऐं हैं जो की हस्ताक्षर करना भी नहीं जानती हैं, ऐसी स्थिति में उनको कानूनी बारिकीयों की जानकारी नहीं होना तथा नामान्तरकरण की प्रविष्ठियों की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाना स्वीकार योग्य कथन है। एक ही ग्राम के एक नामान्तरकरण में अपीलाण्ट का नाम दर्ज होने व दुसरे में नाम दर्ज नहीं होने से भी स्पष्टतया प्रश्नगत नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का आवेदन पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का स्वीकार योग्य होकर अपीलाण्ट की अपील भी स्वीकार योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 30.01.1993 त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा का प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 30.01.1993 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सांखलों का खेड़ा की नामान्तरकरण संख्या 38 में वर्णित भूमि में मृतक प्रेमचन्द पिता रामलाल जाट के नाम दर्ज हिस्से की विरासत 1/3, 1/3 अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोण्डेण्ट् संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 18.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.17 16:04:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: